राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

1045/2014...जिला......जयपुर..

[illegible] [illegible]र्स बाड़मेर लिग्नाईट माईनिंग कम्पनी लि., मनउपासना प्लाजा, सी–44, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, जोन–द्वितीय, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.06.2014	<u>खण्डपीठ</u> <u>श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य</u> <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u> अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, जोन–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा25, 55 व 61 के तहत् निर्धारण वर्ष 2011–12 की तृतीय तिमाही के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 23.04.2014 के जरिये कायम की गयी मांग राशि में से ₹2,40,78,111/– को विवादित कर, प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान, ₹89,82,117/– की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री एस.के.जैन, एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह बहस हेतु दिनांक 18.06.2014 को उपस्थित हुये। उभयपक्षीय बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी बाड़मेर जिले में लिग्नाईट खान का लीजधारक है जिसके खनन का करार मैसर्स साउथ वेस्ट माईनिंग लि. से है । इस खनन किये हुये कोयले को विद्युत उत्पादन के लिये मैसर्स राजवेस्ट पावर लि. को विकय करती है । कथन किया कि समझौते के के क्लॉज 3.1 अनुसार अपीलार्थी विकेता बी.एल.एम.सी.एल एवम् केता आरडब्लूपीएल के बीच स्पष्ट रूप से लिग्नाईट की खरीद एवम् विकय का समझौता है जिसके तहत् लिग्नाईट विकय एवम् आपूर्ति किया जाता है । व्यवहारी द्वारा मोबाईल कशर, वे–ब्रिज एवम् उनके उपकरणों की कुल खरीद को पूंजीगत वस्तुओं की खरीद होना प्रकट कर उक्त कय की गयी वस्तुओं पर चुकाये गये वैट का आगत कर का मुजरा लिया गया जो निर्धारण वर्ष 2011–12 की तृतीय तिमाही में लिग्नाईट के विकय से संग्रहित निर्गत कर से समायोजित किया गया है । कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त विधिक स्थिति को अस्वीकार कर, केवल शास्ति राशि की वसूली पर स्थगन प्रदान किया गया जो विधिसम्मत एवत् उचित नहीं है । विशिष्ट रूप से कथन किया कि कर व ब्याज की मांग राशियों को अपीलार्थी द्वारा माननीय कर बोर्ड के समक्ष वसूली पर रोक संबंधी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के लंबित रहते प्रत्यर्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वसूल कर ली गयी है। अतः जमा करवायी गयी राशि को अपील निर्णय होने तक रिफण्ड प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी । अपने कथन के समर्थन में माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2013) 62 वीएसटी 185, माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत रिट पिटीशन कमांक 3174/2013 निर्णय दिनांक 04.02.2014 व कर बोर्ड की समन्वय पीठ के न्यायिक दृष्टांत अपील संख्या 1403 से 1406/2013/जयपुर निर्णय दिनांक 03.09.2013 को प्रोद्धरित किया गया ।	

लगातार.....................2

19.06.2014

विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध वसूली योग्य राशि लंबित नहीं होने के कारण प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वतः निष्प्रभावी हो चुका है। अतः उक्त **"खारिज"** किये जाने योग्य है।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलीय आदेश व अपील आधारों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय व कर बोर्ड की समन्वय पीठ के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों के तहत् रोक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर वसूली हेतु कायम की गयी मांग राशि की वसूली पर निश्चित अवधि के लिये रोक लगायी जाती है न कि रोक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर बकाया मांग राशि जो कि व्यवहारी से वसूल की जा चुकी हो, का रिफण्ड प्रदान किया जाता है। कर बोर्ड की समन्वय पीठ के स्थगन संबंधी आदेश दिनांक 03.09.2013 में अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत रोक प्रार्थना पत्र के लंबित रहते लिखित में सूचित किया गया था तथा कर निर्धारण अधिकारी ने आवेदन पत्र को अस्वीकार करते हुये गार्निसी आर्डर द्वारा बकाया राशि वसूल कर ली गयी थी। उक्त प्रकरण में भी वसूली हेतु कायम की गयी राशि को लौटाये जाने के कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा निर्देश जारी नहीं किये गये थे। अतः अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के मद्देनज़र प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में नहीं होने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र निष्प्रभावी होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति की तिथि से आगामी तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।

निर्णय सुनाया गया ।

(मदन लाल) 19.6.2014
सदस्य

(जे.आर.लोहिया)
सदस्य
19/06/14